प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 26.12.15

न्यायालय उप जिलाधिकारी ,बहराइच।

वाद संख्या टी 20150815016949

अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
ग्राम उन्नैसा परगना, तहसील व जिला बहराइच।

[illegible] बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद तहसीलदार बहराइच की आख्या पर प्रारम्भ हुआ। तहसीलदार ने अपनी आख्या में लिखा है कि ग्राम उन्नैसा परगना, तहसील बहराइच की खाता संख्या 612 पर गाटा संख्या 8मि0/1.000हे0 भूमि शकुन्तला मेमोरियल एजूकेशन इन्स्टीट्यूट उन्नैसा के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पर विद्यालय भवन [illegible] है। उक्त भूमि मौके पर आबादी के रूप में है। उक्त भूमि बहराइच से [illegible] मुख्य मार्ग पर स्थित है। कृषि कार्य नही हो रहा है। भूमि अकृषिक है।

[illegible] का अवलोकन किया। पत्रावली में दाखिल नकल खतौनी ग्राम [illegible] बहराइच वर्ष 1421–1426फ0 के खाता संख्या 612 पर अंकित गाटा संख्या 8 / 1.3500हे0 पर शकुन्तला मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीटयूट उन्नैसा का नाम [illegible] भूमिधर अंकित है। तहसीलदार बहराइच ने अपनी आख्या में लिखा है कि उक्त भूमि पर विद्यालय भवन निर्माणाधीन है। उक्त भूमि मौके पर आबादी के रूप में है। उक्त भूमि बहराइच से गोण्डा जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु [illegible] प्रस्तुत किया है।

[illegible] उन्नैसा परगना तहसील व जिला बहराइच स्थित भूमि खतौनी [illegible] 1421–1426फ0 के खाता संख्या 612 पर अंकित गाटा संख्या 8 / 1.3500हे0 में [illegible] भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप [illegible] बहराइच को [illegible] निबन्धन हेतु तथा एक प्रति तहसीलदार बहराइच को [illegible] हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संग्रहीत हो।

दिनांक 28–12–15

उप जिलाधिकारी,
बहराइच।

प्रमाणित प्रतिलिपि
11.1.16
[illegible]
[illegible]